(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 112–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 402/अपील/11–12.

बाबूलाल आत्मज हरची किरार
द्वारा मुख्तयारआम
मोहनसिंह आत्मज बाबूलाल किरार
निवासी ग्राम अर्जनी
तहसील सिलवानी जिला रायसेन ....आवेदक

विरूद्ध

1– करनसिंह वल्द हरलाल किरार
2– शिवनारायण पुत्र जालमसिंह किरार
3– भगवानसिंह पुत्र जालमसिंह किरार
4– प्रहलादसिंह पुत्र जालमसिंह किरार
5– जालमसिंह वल्द पन्नालाल किरार
6– हरीसिंह पुत्र जालमसिंह किरार
निवासीगण ग्राम गुन्दरई
तहसील सिलवानी जिला रायसेन ....अनावेदकगण

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/3/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के मुख्त्यारआम मोहनसिंह द्वारा नायब तहसीलदार, बम्होरी तहसील सिलवानी जिला रायसेन के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खमरिया स्थित कुल किता 7 कुल रकबा 23.75 एकड़ भूमि पर वर्ष 1969–70 से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि चली आ रही है, जिसे संशोधित किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही कर दिनांक 19–8–2010 को आदेश पारित करते हुए आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, सिलवानी जिला रायसेन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 5–4–2012 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–11–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए तहसीलदार को निर्देश दिये गये कि पूर्ववत प्रविष्टि अंकित कर रिकार्ड दुरूस्त की जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 को संयुक्त खाते की भूमि में से अपना हिस्सा से अधिक भूमि का विकय करने का अधिकार नहीं था । संयुक्त खाते में उसके हिस्से में केवल 5.10 एकड़ भूमि थी, जबकि उसने दो विकय पत्रों द्वारा 9.10 एकड़ भूमि का विकय किया गया है ।

(2) अनावेदक कमांक 1 संयुक्त खातेदार को संयुक्त भूमि में से किसी विशिष्ट सर्वे कमांक 46 एवं 47 का विकय करने का अधिकार नहीं है, और ऐसे विकय के आधार पर अनावेदकगण केताओं के नाम नामांतरण नहीं किया जा सकता था, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांतरण पंजियों पर पारित ऐसे अवैध आदेशों को अपास्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश को अपास्त कर नामांतरण पंजी पर पारित नामांतरण आदेश को स्थिर रखने में त्रुटि की गई है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी पर पारित नामांतरण आदेश के पूर्व आवेदक को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, जो कि नामांतरण नियमों के नियम

27 के आज्ञापक उपबंधों की अवहेलना होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता है, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा ऐसे अवैध आदेश को स्थिर रखने में त्रुटि की गई है ।

(4) नामांतरण पंजी पर पारित आदेश न केवल नामांतरण नियमों के नियम 27 के विपरीत है अपितु संहिता की धारा 41 के अंतर्गत निर्मित नियमों के नियम 7 एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहलेना होने से भी स्थिर नहीं रखे जा सकते हैं ।

(5) परिसीमा के प्रश्न के विषय में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 2–6–2011 द्वारा विलम्ब माफ किया गया था, और इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, इस कारण यह आदेश अंतिम हो गया है, और अब परिसीमा के प्रश्न पर द्वितीय अपील में विचार नहीं किया जा सकता है ।

(6) जब बिना हक के अंतरण किया गया है, और ऐसे बिना हक के आधार पर नामांतरण किये गये हैं, जो अधिकारिता रहित है, और जब आदेश अधिकारिता रहित हो, तब परिसीमा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

तर्कों के समर्थन में 2013 आर.एन. 195 (उच्च न्या.), 1998 आर.एन. 222, 1996 आर.एन. 223, 2006 आर.एन. 1 (उच्चतम न्या.), 1995 आर.एन. 167, 1999 आर.एन. 401 (उच्च न्या.), 2000 आर.एन. 77, 1992 आर.एन. 32, 1990 आर.एन. 162, 1993 आर.एन. 253 (उच्च न्या.) 1992 आर.एन. 215 (उच्च न्या.), ए.आई.आर. 1954 (एस.सी.) 340, 1982 आर.एन. 417 एवं 1991 आर.एन. 290 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक बाबूलाल द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 116 के अंतर्गत वादग्रस्त भूमि के खसरा वर्ष 1965–66 लगायत 1967–68 में दर्ज प्रविष्टियों को लिपिकीय त्रुटि बताते हुए दुरूस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा उचित कार्यवाही की गई है, क्योंकि संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत शुद्धिकरण का आवेदन पत्र प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

(2) आवेदक की ओर से ग्राम खमरिया की कुल किता 7 कुल रकबा 23.75 एकड़ भूमि के राजस्व अभिलेखों में शुद्धिकरण के आवेदन पत्र को तहसील न्यायालय द्वारा निरस्त

किया गया था, जिसकी अपील उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें वादग्रस्त भूमि को 23.75 एकड़ के स्थान पर 17.75 एकड़ भूमि मान्य करते हुए मनमाना आदेश पारित किया गया है, जो कि तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधिकारिता विहीन निष्कर्ष दिया गया है जबकि न्यायालय से जिस अनुतोष की याचना नहीं की गई, न्यायालय स्वप्रेरणा से ऐसा कोई अनुदेश प्रदाय नहीं कर सकता । इस तथ्य पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है ।

(4) संहिता की धारा 115, 116 में स्वत्व निर्धारण के संबंध में राजस्व न्यायालयों को कोई अधिकार नहीं है । ऐसी स्थिति में जो आदेश प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के नामांतरण आदेश को निरस्त करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की गई है, क्योंकि तीस वर्ष पूर्व पंजीकृत बयनामों के आधार पर हुए नामांतरण में आवेदक की सहमति थी । ऐसी स्थिति में पंजीकृत बयनामों के आधार पर जो आदेश तहसील न्यायालय द्वारा प्रमाणित किये गये थे, उन्हें निरस्त करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है, क्योंकि पंजीकृत बयनामों को निरस्त करने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को है ।

(6) आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई थी । वर्तमान में वादग्रस्त भूमि 9.10 एकड़ भूमि के भूमिस्वामी अनावेदकगण है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेखों का विधिवत अवलोकन नहीं किया गया है, क्योंकि तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 2 एवं 5 पर पारित आदेश दिनांक 5–3–2006 के द्वारा उनके पक्ष में नामांतरण प्रमाणित हुए हैं, और इन नामांतरण आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए उपरोक्त नामांतरण आदेश अंतिम हो गये हैं, इस वैधानिक तथ्य पर विचार किये बिना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

(7) आवेदक ने प्रथम अपील में यह स्वीकार किया है कि उसने 23.75 एकड़ भूमि में से 6.00 एकड़ भूमि अपनी बहन काशीबाई को दी है, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस

तथ्य का उल्लेख नहीं करते हुए आवेदक के स्वत्व की 6.00 एकड़ भूमि कम न करते हुए जो आदेश पारित किया गया है, वह अभिलेख एवं साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(8) अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों का विधिवत एवं स्पष्ट उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के तथ्यों के विपरीत होने से इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं ।

तर्कों के समर्थन में 1992 (2) जे.एल.जे. 218, 1970 जे.एल.जे. 290 एवं 2001 (1) एम.पी.एल.जे. 156 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । एक ही भूमि तथा एक ही मूल आदेश से प्रारम्भ हुई कार्यवाही की दो निगरानी प्रकरण कमांक 112–पीबीआर/16 तथा प्रकरण कमांक 113–पीबीआर/16 इस न्यायालय में लम्बित हैं । इन दोनों निगरानी प्रकरणों में एक ही भूमि विवादित है तथा पक्षकार भी लगभग समान ही हैं, केवल दो पृथक–पृथक की गई कार्यवाहियों के विरूद्ध ये दोनों निगरानियां पृथक–पृथक प्रस्तुत की गई हैं, अतः दोनों निगरानी प्रकरणों का निराकरण एक ही आदेश से किया जा रहा है । भूअभिलेख (खसरे) को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियों के आवेदक बाबूलाल एवं अनावेदक कमांक 1 करनसिंह सह भूमिस्वामी थे तथा दोनों के हिस्से भी स्पष्टतः पृथक–पृथक उल्लेखित थे । लेकिन अनावेदक कमांक 1 करनसिंह द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि विकय कर दी गई । यद्यपि उनमें से एक विकय पत्र में आवेदक की सहमति है लेकिन पंजी पर नामांतरण में सहखातेदार आवेदक को न तो सूचना दी गई है, और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है । अतः आवेदक को समय–सीमा का लाभ देते हुए अपर आयुक्त को प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा समय–सीमा के बिन्दु पर निगरानी निरस्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का

अवसर देते हुए आवश्यकता अनुसार साक्ष्य ली जाकर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें ।

यह आदेश प्रकरण कमांक निगरानी 113–पीबीआर/16 बाबूलाल विरूद्ध करनसिंह आदि पर भी लागू होगा । अतः आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर